

## 13. अंक प्रतिशतता गणना की प्रक्रिया

मैरिट निम्न के अनुसार निर्धारित की जाएगी :-

- क) प्रवेश के लिए जिन व्यवसायों की शैक्षणिक योग्यता दसवीं है, उन व्यवसायों की मैरिट दसवीं के कुल प्राप्त अंकों से ही निकाली जाएगी तथा जिन व्यवसायों की योग्यता 10+2 (Non Medical) है उन व्यवसायों की मैरिट 10+2 (Non Medical) के कुल प्राप्त अंकों से ही निकाली जाएगी।
- ख) CBSE के मैट्रिक प्रमाण पत्र में प्राप्त CGPA x 9.5 से मैरिट निकाली जाएगी तथा 10+2 (Non Medical) के CBSE से पास प्रार्थियों की मैरिट लिस्ट CGPA के नियमानुसार बनाई जाएगी।
- ग) Open School :- यदि प्राप्त अंकों व अधिकतम अंकों का कुल योग नहीं दिया गया है तो उतीर्ण हुए उम्मीदवारों के पहले पांच विषयों में प्राप्त कुल अंकों के योग से मैरिट निकाली जाएगी।
- घ) शेष अन्य राज्य:- या तो पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र कुल अंकों को दर्शाता हो या उम्मीदवार कुल अंकों वाला प्रमाण पत्र सम्बन्धित पाठशाला से लाये।
- ङ) दसवीं तथा 10+2 (Non Medical) योग्यता वाले व्यवसायों के लिए अलग-अलग मैरिट लिस्ट बनाई जाएगी।

(उपरोक्त सभी में यदि दो या अधिक उम्मीदवारों की अंक प्रतिशतता (Merit) समान हो तो अधिक आयु के उम्मीदवार को अधिमान दिया जाएगा।)

## 14. शुल्क संरचना

एक बार जमा किये गए फीस/फंड्स वापस नहीं लौटाये जायेंगे। सभी फंड्स को गैर रियायती सीटों से रियायती या रियायती से गैर रियायती के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।

### 14.1 शुल्क और अन्य संस्थागत कोष राशियाँ फ्री सीटों (Subsidised Seats) के लिए:-

(आईटीआई के नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए फीस और अन्य शुल्क)

चयनित उम्मीदवार को चयन पत्र प्रस्तुत करने की समय पर निर्धारित तारीखों के भीतर सम्बन्धित आई.टी.आई. में निम्नलिखित फीस और अन्य शुल्क जमा करवाने होंगे :-

<b>(i) Fee</b>		
1	Admission Fee (One Time)	200/-
2	Tuition Fee (Per Semester)	1200/-
<b>(ii) Charges</b>		
1	Certificate Charges (One Time)	100/-
2	Insurance (Every Year)	200/-
<b>(iii) Funds</b>		
1	Institutional Security (Refundable) (One Time)	1000/-
2	NCC Fund (per year) applicable for institute where NCC is available and shall be charged to the trainees opting NCC	100/-

3	Training and Placement Fund (one time)	100/-
4	Identity card fund (One Time)	50/-
5	Student Welfare Fund (per semester)	350/-
6	Development Fund (Building fund, Sports and culture activities fund)(per semester)	250/-
7	Water and Electricity Fund (Per Semester)	250/-
	Medical Fund (Per Semester)	100/-
8	Internal Examination Fund (Per Semester)	100/-
9	Library Fund (Per Semester)	100/-
10	Computer Education Fund (for first & Second Semester)	600/- per Semester
11	Corpus Fund for student welfare (Per Year) (to be deposited in the Directorate through Institute)	20/-
	<b>Total</b>	<b>4720/-</b>

### ध्यान दें:

1. निर्धारित फीस और अन्य निधियां समैस्टर आधार पर लिए जा रहे हैं।
2. एक समय (one time) फंडों को प्रशिक्षण अवधि में एक बार लिया जा सकता है।
3. 40% या उससे अधिक निःशक्त प्रशिक्षणार्थियों और महिला प्रशिक्षणार्थियों से ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी।
4. 40% या उससे अधिक विकलांग प्रशिक्षणार्थियों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।
5. कारपैन्टर और आशुलिपि एवं सेक्रेट्रियल सहायक (हिन्दी) के प्रशिक्षणार्थियों को ट्यूशन, प्रवेश शुल्क एवं corpus Fund को छोड़कर अन्य निधियों में 50% तक की छूट है।
6. फीस, अन्य शुल्क और संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को बिना किसी सूचना के बदला जा सकता है।
7. उपरोक्त संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को केवल प्रशिक्षण के पूरा होने या प्रशिक्षण छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर वापस किया जा सकता है। संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) से प्रशिक्षणार्थी के खिलाफ किसी भी वसूली / दंड राशि को सम्बंधित प्रधानाचार्य द्वारा काटा जा सकता है। सुरक्षा राशि से अतिरिक्त वसूली योग्य राशि को सम्बंधित प्रशिक्षणार्थी संस्थान छोड़ने से पहले जमा करने के लिए बाध्य है। प्रशिक्षण के पूरा होने या प्रशिक्षण छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर यदि संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को वापिस नहीं लिया गया तो इसे विकास कोष में जमा कर दिया जायेगा एवं तदोपरांत वापिस नहीं किया जायेगा।
8. उपरोक्त सभी निधियां (फीस को छोड़ कर) गैर सरकारी निधि है ओर सम्बंधित प्रधानाचार्य द्वारा संचालित किये जायेंगे, सम्बंधित प्रधानाचार्य संस्थान के छात्र कल्याण समिति की सहमति से एवं छात्र कल्याण निधि के नियमानुसार खर्च कर सकते हैं।
9. चयनित उम्मीदवार को एक बार में एक ही किस्त में सभी शुल्क (Semester-wise) जमा करने हैं।
10. उपरोक्त वर्णित शुल्क एवं निधियां निजी आईटीआई के लिए प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए भी लागू है।
11. सभी शुल्क एवं निधियां जमा करने की अंतिम तारीख सेमेस्टर के पहले माह (February/ August) की 10 तारीख है, इसके उपरान्त माह की 25 तारीख तक 15 रुपये प्रति दिन विलम्ब शुल्क लगेगा, 25 तारीख के बाद प्रशिक्षणार्थी को नाम संस्थान के हाजिरी रजिस्टर से काट दिया जायेगा।

## 14.2 स्वयं-वित्तपोषित सीटों के लिए शुल्क और अन्य संस्थागत कोष राशियाँ :-

### (i) For One year /Two year Engineering Trades

Sr. No	Description	Amount (in Rs.)	Remarks
<b>a) Fee</b>			
1	Admission Fee (One Time)	200/-	To be deposited in Govt. Head
<b>b) Funds</b>			
2	Institutional Security (One Time)	1000/-	Refundable upto 1-year after completion of training
3	Training & Placement Fund (One Time)	100/-	To be retained by the T&P Cell
4	Insurance (Every Year)	200/-	For Insurance purpose of trainees
5	Identity Card Fund (One Time)	50/-	For Identity card of trainees
6	Institutional Development Fund (per Semester)	6500/-	To be retained/Utilized with the consent of Institute management Committee.
7	Computer Fund (per Semester)(Charged for 1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> Semester Only )	650/-	Computer Fee will be used for raw material pertaining to computer, maintenance of old computers, purchase of new computers and engaging computer trainers etc.
8	Corpus Fund for student welfare (per year)	20/-	to be deposited in the Directorate through Institute
9	Certificate Charges (One Time)	100/-	
	<b>Total</b>	<b>8820/-</b>	

### (i) For one year Non-Engineering Trades

Sr. No	Description	Amount (in Rs.)	Remarks
<b>a) Fee</b>			
1	Admission Fee (One Time)	200/-	<b>To be deposited in Govt. Head</b>

<b>b) Funds</b>			
<b>2</b>	Institutional Security (One Time)	1000/-	<b>Refundable upto 1-year after completion of training</b>
<b>3</b>	Training & Placement Fund (One Time)	100/-	<b>To be retained by the T&amp;P Cell</b>
<b>4</b>	Insurance (Every Year)	200/-	<b>For Insurance purpose of trainees</b>
<b>5</b>	Identity Card Fund (One Time)	50/-	<b>For I card of trainees</b>
<b>6</b>	Institutional Development Fund (per Semester)	4825/-	<b>To be retained/Utilized with the consent of Institute management Committee.</b>
<b>7</b>	Computer Fee (Per Semester) (Charged for 1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> Semester Only)	650/-	<b>Computer Fee will be used for Raw material pertaining to computer, maintenance of old computers, purchase of new computers and engaging computer trainers etc.</b>
<b>8</b>	Corpus Fund for student welfare (per year)	20/-	<b>to be deposited in the Directorate through Institute</b>
<b>9</b>	Certificate Charges (One Time)	100/-	
	<b>Total</b>	<b>7145/-</b>	

नोट: -

1. संस्थागत विकास कोष (Institutional Development Fund) संस्थान प्रबंधन समिति की सहमति के साथ प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हित में उपयोग किये जा सकने वाला कोष है। अतः संस्थान प्रबंधन समिति इस कोष का उपयोग स्टेट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों एवं नियमानुसार प्रशिक्षण हित में कर सकती है।
2. संस्थान प्रबंधन समिति/ छात्र कल्याण समिति कम्प्यूटर निधि को कम्प्यूटर/ Consumable एवं अन्य सम्बन्धित सामग्री, पुराने कम्प्यूटरों के रखरखाव पर खर्च करने के लिए नियमानुसार सक्षम है।
3. नए कम्प्यूटर की खरीद हेतु निदेशक तकनीकी शिक्षा से नियमानुसार स्वीकृति लेनी होगी।
4. शुल्क और सुरक्षा राशि का रखरखाव किसी सूचना के बिना बदला जा सकता है।
5. निर्धारित धनराशि सेमेस्टर आधार पर ली जायेगी।
6. एक बार ली जाने वाली धनराशि (one Time) को पूरी प्रशिक्षण अवधि में एक बार ही लिया जायेगा।
7. उपरोक्त संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को केवल प्रशिक्षण के पूरा होने या प्रशिक्षण छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर वापस किया जा सकता है। प्रतिदेय संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) से प्रशिक्षणार्थी के खिलाफ किसी भी वसूली / दंड राशि को सम्बंधित प्रधानाचार्य द्वारा काटा जा सकता है। सुरक्षा राशि से अतिरिक्त वसूली योग्य राशि को सम्बंधित प्रशिक्षणार्थी संस्थान छोड़ने से पहले जमा करने के लिए बाध्य है। प्रशिक्षण के पूरा होने या प्रशिक्षण छोड़ने के बाद एक साल के अन्दर यदि संस्थागत सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) को वापस नहीं लिया गया तो इसे संस्थागत विकास कोष में जमा कर दिया जायेगा एवं तदोपरांत वापस नहीं किया जायेगा।

8. उपरोक्त संस्थागत विकास कोष / आईएमसी फंड गैर सरकारी कोष हैं। ये फंड सदस्य सचिव IMC द्वारा नियंत्रित होते हैं और संस्थान की संस्थान प्रबंधन समिति की सहमति के साथ सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा आईएमसी फंड के नियमानुसार इस्तेमाल किया जाएगा।
9. सभी शुल्क एवं निधियां जमा करने की अंतिम तारीख सेमेस्टर के पहले माह (February/ August) की 10 तारीख है, इसके उपरान्त माह की 25 तारीख तक 15 रुपये प्रति दिन विलम्ब शुल्क लगेगा, 25 तारीख के बाद प्रशिक्षणार्थी को नाम संस्थान के हाजिरी रजिस्टर से काट दिया जायेगा।
10. इन प्रशिक्षणार्थियों (जिनका नाम शुल्क एवं निधियां निर्धारित समय पर जमा न कराने के कारण काटा गया हो) को पुनः प्रवेश निदेशक तकनीकी शिक्षा की अनुमति से दिया जा सकता है।

### 14.3 छात्रावास सुविधाएं एवं शुल्क और अन्य प्रभार

छात्रावास सुविधाएं राजकीय आईटीआई शाहपुर, रिकौंगपीओ, रामपुर, शिमला, मंडी, सोलन, शमशी, नाहन, चम्बा, ऊना, बिलासपुर और नादौन (रेल) में उपलब्ध हैं यह शुल्क छात्रावास के लिए प्रवेश करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को ही लागू होगा। छात्रावास में प्रवेश (सभी शिफ्ट्स के प्रशिक्षणार्थियों सहित) योग्यता (10वी की मेरिट) के आधार पर किया जाएगा:

Sr. No.	Details	Fee/Charges (in Rs.)
1.	Hostel Room rent (For Six Months)	600/-
2.	Electricity and Water Charges (For Six Months)	600/-
3.	Hostel Services and Maintenance Fund (For Six Months)	750/-
4.	Hostel Development Fund(Yearly)	500/-
5.	Hostel Security (Refundable) (One Time)	1500/- (Refundable)
6.	Mess Charges	On Actual Basis
<b>Total at the time of admission</b>		<b>3950/-</b>

आई.टी.आई (निःशक्त व्यक्तियों के लिए) सुन्दर नगर (हि०प्र०) में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। निःशक्त प्रशिक्षणार्थियों को दी जाने वाली सुविधायें निदेशक, अनुसूचित-जाती, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक मामले, हिमाचल प्रदेश से इस सम्बन्ध में जारी किए गए पत्रों के अनुरूप उस विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बारे में विस्तृत जानकारी जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से अथवा प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, निःशक्त व्यक्तियों (PWD) सुंदरनगर, के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है निःशक्त व्यक्तियों को प्रवेश के समय समाज एवं महिला कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश के ऊपर वर्णित पत्र के अनुरूप गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिए गए मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ देना होगा, अन्यथा प्रवेश रद्द समझा जायेगा।

### 14.4 परीक्षा शुल्क और अन्य प्रभार

एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. परीक्षा के लिए निर्धारित फीस प्रशिक्षणार्थी द्वारा जमा करवानी होगी, जिसका निर्धारण समय-समय पर हि.प्र. तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला / डी.जी.ई.टी न्यू दिल्ली करेगी।

नोट:- (1) ये शुल्क किसी भी समय बिना सूचना परिवर्तित हो सकते हैं।

(2) Regular प्रशिक्षणार्थियों को ALL INDIA TRADE TEST में उनके परीक्षा केन्द्र को बदलने की अनुमति नहीं होगी। वे जिस संस्थान के BONAFIDE TRAINEE हैं उन्हें वह परीक्षा वहीं से देनी होगी।